भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4063

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शैक्षणिक ऋण

4063. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शैक्षणिक ऋण प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना या पहल की गई है; और

(ग) तेलंगाना में इन योजनाओं से लाभान्वित छात्रों की संख्या कितनी है और उन्हें क्या विशिष्ट लाभ प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मॉडल शिक्षा ऋण योजना (एमईएलएस), 2022 (अंतिम बार दिनांक 21.3.2024 को संशोधित) को अपनाने की सलाह दी गई है। यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- यह योजना आवश्यकता आधारित शिक्षा ऋण प्रदान करती है।
- ₹ 7.50 लाख तक की ऋण राशि के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा या तृतीय-पक्ष गारंटी की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वे केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)/शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) के लिए पात्र हों।
- ₹ 4 लाख तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं।
- सभी मामलों में अधिस्थगन अवधि की अनुमति अध्ययन अवधि तक और एक वर्ष तक दी जाती है।
- चुकौती अवधि (अधिस्थगन के बाद) सभी ऋणों के लिए 15 वर्ष तक उपलब्ध है।

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक (पीएसबी) भी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर ₹ 7.50 लाख से अधिक के संपार्श्विक मुक्त ऋण भी प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 अप्रैल 2010 के परिपत्र आरपीसीडी.एसएमई एंड एनएफएस.बी.सी. सं. 69/06.12.05/2009-10 के अंतर्गत संपार्श्विक मुक्त ऋण-शिक्षा ऋण योजना के संबंध में यह सलाह दी गई है कि बैंकों को ₹ 4 लाख तक के शिक्षा ऋणों के मामले में अनिवार्य रूप से संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त नहीं करनी चाहिए।

इसके अलावा, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का शुभारंभ दिनांक 06.11.2024 को किया गया है, जो मेधावी छात्रों को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करती है ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा न हो। यह योजना देश में उच्च 902 (अंतिम बार दिनांक 8.8.2025 को अपडेट किया गया) गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान करती है तथा सक्षम बनाती है और इन क्यूएचईआई के मेधावी छात्रों को एक सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण लेने में सक्षम बनाती है। यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) के तत्वावधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) ₹ 3.00 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) जैसी अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों जिनके साथ निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करता है।

शिक्षा ऋण का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए एकबारगी सहायता के रूप में ऋण प्रदान किया जाता है। शैक्षिक ऋण में प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, किताबें, स्टेशनरी और उपकरण आदि शामिल होंगे।

- **अधिकतम ऋण सीमा:** भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए रु. 40.00 लाख तक या पाठ्यक्रम शुल्क का 90%, जो भी कम हो।
- **ब्याज दर:** एनएसएफडीसी एससीए/सीए से 2.5% की दर से ब्याज लेता है, जो बदले में लाभार्थियों से 6.5% शुल्क लेता है।
- **चुकौती अवधि:** शैक्षिक ऋण योजना के तहत अधिकतम चुकौती अवधि 12 वर्ष तक है।

(ग) जैसा कि आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है, 31 मार्च, 2025 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) द्वारा तेलंगाना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को बकाया ऋण 0.04 लाख बकाया खातों (अनंतिम डाटा) के साथ ₹ 247.60 करोड़ रुपये था।

इसके अतिरिक्त, एनएसएफडीसी द्वारा (आज की तारीख के अनुसार) शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत तेलंगाना के 04 विद्याथयों को ₹ 7. 91 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

******